छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | एकादश सत्र | अंक-05

रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012

(अग्रहायण-28, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. पृच्छा

बागबाहरा में मोतियाबिंद आपरेशन उपरांत अनेक लोगों की आंखों की रोशनी चली जाने संबंधी

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री संतोष बाफना, सदस्य का नाम प्रश्न किए जाने हेतु पुकारा गया। श्री परेश बागबाहरा, सदस्य द्वारा बागबाहरा में 12 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर कार्यवाही रोक कर चर्चा कराए जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल के पश्चात् इस पर विचार किये जाने संबंधी कथन किया एवं प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए एवं पर्चे लहराए गए। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि सदन में पर्चे न लहराएं।

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11.07 बजे स्थगित की जाकर 11.12 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग किए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि प्रश्नकाल के पश्चात स्थगन प्रस्ताव पर सारी बातें रखने का अवसर दिया जावेगा एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06 एवं 8 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य डॉ.शिव कुमार डहरिया अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 19 तारांकित एवं 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2012-2013 के बजट की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा **पटल पर रखा।**

4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 को छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012) पर चर्चा हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित करने की सिफारिश से सदन को अवगत कराया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

5. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा जिला महासमुंद के बागबाहरा में मोतियाबिंद आपरेशन उपरांत अनेक लोगों की आंखों की रोशनी चली जाने संबंधी 38 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन सूचनाओं में से श्री परेश बागबाहरा, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा

श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा प्रारंभ की।

7. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से अनुपस्थित रहने की सूचना प्राप्त हुई है और उनकी ओर से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सदन के कार्य हेतु माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अधिकृत किया गया है। तद्नुसार मैंने अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

8. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा(क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री अजीत जोगी, धर्मजीत सिंह, नंद कुमार पटेल, अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, कुलदीप सिंह जुनेजा, रविन्द्र चौबे।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

9. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन द्वारा उत्तर न दिए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

10. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य ने प्रदेश में नक्सली घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य सूची के पद क्रम 3 (1) पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2.04 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने रायपुर, मोवा में शासकीय वॉटर कोर्स की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयाल दास बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

11. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री परेश बागबाहरा
(2) श्री सौरभ सिंह
(3) श्री मोहम्मद अकबर
(4) श्री लेखराम साहू
(5) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम

12. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री खेदूराम साहू, सदस्य, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति ने समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

13. व्यवस्था का प्रश्न

माननीय उपाध्यक्ष द्वारा श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री का नाम संकल्प को प्रस्तुत किए जाने हेतु पुकारने पर श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जिस विषय पर संसद में चर्चा हो चुकी हो उस विषय पर इस सदन में चर्चा आवश्यक नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि शासन संकल्प के माध्यम से केन्द्र सरकार को अपनी भावनाओं से अवगत करा सकता है। इसलिए इस पर चर्चा की जा सकती है।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने कार्यसूची के अनुरूप इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई।

14. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि केन्द्र शासन के विषयों पर इस सदन को सिफारिश, अनुरोध करने का अधिकार है, पहले भी किया गया है। पूर्व में इसी सदन में अनेक संकल्प जो केन्द्र से अनुरोधात्मक होते हैं, पारित कर प्रेषित किये गये हैं। इस सकंल्प को श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री प्रस्तुत करें।

15. संकल्प

"यह सदन सिफारिश करता है कि छोटे-छोटे किसानों, खुदरा व्यवसाइयों एवं दुकानदारों के हित संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार मल्टी-बाण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय पर देशहित में पुनर्विचार करे।"

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री नंद कुमार पटेल, नारायण चंदेल,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, अग्नि चंद्राकर, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री विरेन्द्र कुमार साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री सौरभ सिंह,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक
सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.शिवकुमार डहरिया, श्री देवजी पटेल, श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012)

श्री दयाल दास बघेल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता(संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री दयाल दास बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री दयाल दास बघेल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता(संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012)

श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री विरेन्द्र कुमार साहू।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012) पारित किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012)

श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री विरेन्द्र कुमार साहू।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012) पारित किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012)

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री विरेन्द्र कुमार साहू।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) पारित किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

रात्रि 7.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनाँक 20 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण, 29 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा